राज्यपाल महोदय के गणतंत्र दिवस संदेश का प्रारूप

भाइयों और बहनों,

गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं हैं, परिपक्व लोकतंत्र भी है। हमारा प्रदेश देश के उन चुनिंदा स्वातंत्रय चेतना केन्द्रों में रहा है जिनसे देश भर के आजादी के सैनिकों को प्रेरणा मिली थी। इस सबका ही सुफल गणतंत्र के रूप में हमें मिला है।

लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में एक अभूतपूर्व पहल मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी का कानून बनाकर की गई है। गण के प्रति तंत्र की जवाबदेही का यह अनुपम उदाहरण है। इस कानून के तहत नागरिकों को समय-सीमा में दी जाने वाली सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। अब 52 सेवाएं इस अधिनियम के अन्तर्गत आ गई हैं। देश भर में इस नवाचार को न केवल सराहा गया है बल्कि कई राज्य सरकारों ने इसे अपनाया भी है।

प्रदेश में समाधान आन लाइन, समाधान एक दिन, लोक कल्याण शिविर, परख और जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम सुशासन की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राज्य में ई-टेंडरिंग के बाद ई-पेमेंट व्यवस्था लागू की जा रही है। कई विभागों में भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा होने लगा है। हमारा प्रदेश वीडियो कान्फ्रेंसिग का उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य है।

हमारा प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। हृदय से निकली हुई आवाज दूर तक जाती है और गहरा असर भी करती है। चिन्ताजनक ढंग से घट रहे शिशु लिंगानुपात के विरूद्ध ""बेटी बचाओ अभियान'' की शुरूआत कर मध्यप्रदेश ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को जागृति का नया स्वर दिया है। मानसिकता बदले बिना इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें समूचे समाज की सहभागिता आवश्यक है। यह सतत चलने वाला अभियान है।

राज्य में कई चुनौतियों का सामना संकल्पबद्धता के साथ किया जा रहा है। कुपोषण एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है। मध्यप्रदेश में इस कलंक को मिटाने का संकल्प लिया गया है। अटल बाल आरोग्य मिशन का गठन इसी संकल्प की कड़ी है। हाल के एक सर्वेक्षण से यह बात सामाने आई है कि शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा कमी मध्यप्रदेश में आई है। राज्य सरकार के सघन प्रयासों से प्रदेश में संस्थागत प्रसव 26 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया है। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसके बावजूद मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमीं लाना बड़ी चुनौतियाँ है। इस दिशा में प्रयास निरन्तर जारी हैं।

मध्यप्रदेश को कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था। अब यह राज्य देश के विकासशील राज्यों में गिना जाने लगा है। जनभागीदारी के कारण वह दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में होगा। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में हमारी विकास दर दस प्रतिशत से भी अधिक आ गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यही स्थिति कृषि विकास दर की भी है। कृषि के मुख्य आधार वाले हमारे

प्रदेश में नकारात्मक विकास दर को पीछे छोड़ चालू पंचवर्षीय योजना में 9 प्रतिशत से अधिक कृषि विकास दर हासिल की गई है। पिछले पांच दशक में कृषि में ऐसी उपलब्धि इससे पूर्व कभी नहीं रही। सबसे संतोष की बात यह है कि हमारी कृषि को अंदर से ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिससे विपरीत परिस्थितियों से सामना होने के बावजूद हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। इसका श्रेय खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम उठाने के साथ राज्य के किसानों को है।

किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण, कृषि केबिनेट का गठन, गेहूं के समर्थन मूल्य पर सौ रूपये प्रति क्विन्टल का बोनस, धान पर पचास रूपये प्रति क्विन्टल का बोनस जैसे कई कदम राज्य सरकार ने उठाये हैं। कृषि के साथ संबद्ध क्षेत्रों-पशुपालन, सहकारिता, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मछलीपालन आदि क्षेत्रों को एकीकृत कर कृषि केबीनेट के माध्यम से किसान हितकारी फैसले लिये जा रहे हैं। इस वर्ष विधानसभा में कृषि बजट अलग से पेश किया जायेगा। इसके साथ ही राज्य का कृषि सर्वेक्षण भी अलग से प्रस्तुत होगा।

कृषि के लिहाज से इस वर्ष प्रदेश की एक उल्लेखनीय उपलब्धि सिंचाई के क्षेत्र में रही है। पहली बार कई परियोजनाओं में नहरों के आखिर में रहने वाले किसानों तक पानी पहुँचा है। इस बार रिकार्ड 16 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई है। संकल्प 2010 के अनुसार अभी तक करीब 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण की उपलब्धि भी हासिल की गई है। पूरे प्रदेश में किसानों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए 1 करोड़ 10 लाख से अधिक किसानों को नि:शुल्क ऋण पुस्तिकाएं प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार 22 लाख से भी अधिक किसानों को खसरा-खतौनी की प्रतिलिपियाँ भी उपलब्ध कराई गई है।

शहरीकरण की दौड़ के बावजूद हमारा देश आज भी गांवों में बसता है। राज्य सरकार गांवों को अभूतपूर्व प्राथमिकता दे रही है। अगले साल गांवों में 24 घंटे बिजली मिल सके इसके लिये फीडर अलग करने का महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया गया है। ग्राम-पंचायतों की आत्म- निर्भरता और विकास कार्यों में निरन्तरता के लिये एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने के लिए ""पंच परमेश्वर'' योजना शुरू की गई है। इसकी पहली किश्त के रूप में 704 करोड़ की राशि वितरित की जा रही है।

आप जानते हैं हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसके तहत भारत सरकार राज्यों से प्राप्त राजस्व के बदले कई तरह की योजनाएं लागू करती है। हमारा प्रदेश इन योजनाओं को अमल में लाने में अग्रणी है। मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 17 हजार करोड़ से भी अधिक के कार्य हो चुके है। मनरेगा में प्राप्त शिकायतों पर भी राज्य सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमारे कार्य की प्रशंसा हुई है। इस योजना में एक हजार से कम आबादी वाले ग्रामों में सड़क बनाने का प्रावधान केन्द्रीय योजना में नहीं था। इस कारण कम आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना में छह हजार कि.मी. से अधिक लंबाई की सड़कों का कार्य किया जा रहा है। अभी तक करीब तीन हजार पुल पुलिया और 288 कि.मी. सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिये 50 हजार आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदेश में चालू माली साल में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं में 1327 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण या उन्नयन किया गया है। इसके अलावा 11 वृहत पुल 3 रेलवे ब्रिज बनाये गए हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 16 हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत के 6690 कि.मी. लंबाई की विभिन्न सड़कों का कार्य हाथ में लिया गया है।

शहरों में भी बुनियादी सुविधाएं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उपलब्ध हों इसके लिये योजनाएं बनाई जा रही है। 12 शहरों की नई विकास योजनाओं को तैयार किया गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के डीपीआर पर काम किया जा रहा है। अगले वर्ष से प्रदेश में तीन नई योजनाएँ प्रारंभ की जायेंगी। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, शहरों की गंदी बस्तियों में समुचित शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यह योजनाएं जिला योजना के माध्यम से संचालित की जाएगी।

गाँव-शहर के साथ समाज के हर तबके के साथ संवाद कर सामाजिक पंचायतों का जो सिलसिला शुरु हुआ था, वह अब आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर विद्यार्थी पंचायत का आयोजन सम्पन्न हुआ। 50 करोड़ रूपये की शुरुआती राशि के साथ शिक्षा कोष स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। युवा आयोग का गठन भी किया गया है। विद्यार्थी पंचायत के अन्य दूरगामी प्रभाव वाले निर्णयों में शिक्षा ऋण संबंधी नई व्यवस्थाएं और ब्याज में पचास प्रतिशत का अनुदान शामिल है। फेरीवालों और अन्य तबकों की पंचायतें भी आयोजित हो रही है। स्वतंत्र भारत में सुशासन की यह एक नई कड़ी है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इनके विकास पर उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से भी अधिक राशि आयोजना में खर्च की जा रही है। वर्ष 2011-12 में इन वर्गों के कल्याण पर करीब आठ हजार करोड़ रूपये की राशि व्यय गई। राज्य सरकार का संकल्प है कि एक भी पात्रताधारी वन निवासी वन अधिकारों से वंचित न रहे। प्रदेश में अब तक कुल 1 लाख 54 हजार 90 दावेदारों के अधिकार मान्य किये गये हैं। अब इन्हें कृषि संबंधी अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।

अनुसूचित जातियों के विकास को व्यापकता देने के उद्देश्य से अलग से अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग बनाया गया है। अनुसूचित-जाति राहत योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

राज्य में विभिन्न विभागों में भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई हे। शिक्षा और अन्य विभागों में जहाँ भर्तियाँ हुई हैं, पारदर्शिता के कारण शिकायतों की संख्या नगण्य रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार पटवारियों की भर्ती ऑनलाइन परीक्षा से की जा रही है।

शासन की व्यवस्थाएं अधिकाधिक पारदर्शी करने के साथ ही राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को भ्रष्ट आचरण करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। मध्यप्रदेश अपने अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा विभागीय वेबसाइट्स के माध्यम से सार्वजनिक करने के मामले में भी देश का अग्रणी प्रदेश है।

प्रदेश ने राजस्व के अपने संसाधनों को बढ़ाया है। अकेले खनिज राजस्व में ही तीन गुना वृद्धि हुई है। राज्य की नई खनिज नीति की भारत सरकार ने सराहना की है और अन्य प्रदेशों को इसका अनुसरण करने को कहा है। प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खनिज आधारित उद्योगों के लिये 122 एमओयू किये गए हैं। इनमें करीब 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। इनमें 77 इकाइयों के लिये आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान की जा चुकी हैं। इनसे लगभग 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश का अभूतपूर्व माहौल बना है। इसी वर्ष इंदौर में फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है।

हमारी लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं की देशव्यापी सफलता के बाद ग्रामीण आजीविका मिशन के उपघटक के रूप में प्रदेश के 16 जिलों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसी वर्ष शुरु की जा रही है। इसमें स्वसहायता समूहों के जरिए 60 हजार महिला किसान लाभान्वित होंगी।

राष्ट्रभाषा हिन्दी में विज्ञान और तकनीकी विषयों सहित शिक्षा के लिये एक अभूतपूर्व पहल करते हुए राज्य सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात हिन्दी सेवी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही प्रारम्भ हो रहा है। अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी में बोर्ड और नाम पट्टिकाएं लगाने का निर्णय भी शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा।

प्रदेश में भावनात्मक एकता के लिये कुछ समय पूर्व प्रारम्भ किये गए "आओ बनाए अपना मध्यप्रदेश' ने जनमानस को जोड़ा है। अपने प्रदेश के साथ यह लगाव नई स्फूर्ति और उत्साह देता है और हम अपने आस-पास की यथास्थिति को बदलने में जुट जाते हैं। जुड़ाव की यह प्रवृति गणतंत्र की ऊर्जा शक्ति है। इसे बनाए रखें। एक बार पुन: सबको गणतंत्र दिवस की बधाई।

जय हिन्द.

v